फा.सं. 7-2/(आरटीआई)/2019-एसडीडीएस-ईएस
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(एसडीडीएस प्रभाग)

539, कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- 29 दिसंबर, 2020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

कृपया आरटीआई सेल के माध्यम से दिनांक 18.12.2020 को प्राप्त आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 11.12.2020 जिसकी पंजीयन संख्या डीओईएएस/आर/एक्स/20/00009 है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत बिंदु (1) से बिंदु (4) के संबंध में सूचना मांगी गई है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) का एसडीडीएस प्रभाग जिला-वार/राज्य-वार भू-उपयोग सांख्यिकी (एलयूएस) जिसके तीन भाग होते हैं अर्थात् (i) नव आयामी भू-उपयोग वर्गीकरण (जिसमें वन्य-क्षेत्र, कृषि से भिन्न प्रयोगो के अंतर्गत क्षेत्र, बंजर और अकृष्य भूमि, स्थाई चारागाह और अन्य चराई भूमि, विविध वृक्षीय फसलों के अधीन भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि,वर्तमान परती भूमि, निवल बुआई क्षेत्र शामिल हैं), (ii) सिंचित क्षेत्र (फसल-वार और स्रोत-वार) और (iii) फसलों के अधीन क्षेत्र, का देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नामित राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकारियों (एसएएसए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलन और प्रकाशित करता है । कृषि भूमि में विविध वृक्षों के अधीन भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि, वर्तमान परती भूमि और निवल बुआई क्षेत्र आते हैं और गैर कृषि भूमि में वन्य क्षेत्र, कृषि से भिन्न प्रयोगो के अंतर्गत क्षेत्र, बंजर एवं अकृष्य भूमि, स्थाई चारागाह एवं अन्य चराई भूमि आते हैं। ये आंकड़े राज्यों और राष्ट्रीय स्तरों पर कृषि विकास नीतियों के गठन एवं मूल्यांकन के लिए तथा जिला/स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में योजनाएं आयोजन के लिए महत्वपूर्ण आदान प्रस्तुत करते हैं।

3. एलयूएस के इन सभी 3 भागों के संबंध में संकलित की गई सूचना (भूमि के नव आयामी वर्गीकरण सहित) "भू- उपयोग सांख्यिकी - एक झलक" शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन के माध्यम से जारी किया जाता है जिसमें 10 वर्षों के राज्य-वार/अखिल भारतीय आकड़ें संकलित होते हैं। यह सूचना निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड है और इसे यूआरएल https://eands.dacnet.nic.in/LUS_1999_2004.htmपर देखा जा सकता है। नवीनतम उपलब्ध प्रकाशन "भू- उपयोग सांख्यिकी - एक झलक वर्ष 2007-08 से 2016-17" है।

4. इसके अलावा, यह भी बताया जाता है कि आगामी वर्षों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एलयूएस के जिला-वार/राज्य-वार आंकड़ों का संकलन और संपादन का काम जारी है और यह उचित समय पर सार्वजनिक डोमेन (http://eands.dacnet.nic.in) में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

5. इस उत्तर के विरूध्द प्रथम अपील, यदि कोई हो तो, प्रथम अपीलिय प्राधिकारी, पी. संगीत कुमार, सलाहकार और अपीलिय प्राधिकारी, कमरा सं. 445-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली(ई-मेल:- adviser.sdds-agri@nic.in, दूरभाष संख्या 011-23382236) के समक्ष सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकतीहैं।

भवदीय

रुचि शर्मा 29/12/202

(रूचि शर्मा)

उप निदेशक(एसडीडीएस)

सेवा में,

श्री हरपाल सिंह राणा,

ए-1, कादीपुर, दिल्ली-110036

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्रीरामेश्वर सिंह, सीपीआईओ, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कमरा संख्या 341, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001